



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई 2018—आषाढ़ 27, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2018

क्र. 11832-236-इकीस-अ (प्रा.) अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१८

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१८

[दिनांक १६ जुलाई २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १८ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है।
- (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

धारा ४६ का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ४६ में,—

- (एक) उपधारा (५) के परन्तुक में, शब्द “और अपीली प्राधिकारी छह कलैंडर मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा” का लोप किया जाए;
- (दो) उपधारा (८) में, खण्ड (क) में, शब्द “चौबीस कलैंडर मास” के स्थान पर, शब्द “अड़तालीस कलैंडर मास” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) उपधारा (९) में, शब्द “चौबीस कलैंडर मास” के स्थान पर, शब्द “अड़तालीस कलैंडर मास” स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2018

क्र. 11832-236-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 19 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 19 OF 2018

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2018

[Received the assent of the Governor on the 16th July 2018; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 18th July, 2018.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2018.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 46.

2. In Section 46 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002),—
 - (i) in proviso to sub-section (5), the words “and the Appellate Authority shall dispose of the appeal within six calendar months” shall be omitted;
 - (ii) in sub-section (8), in clause (a), for the words “twenty four calendar months”, the words “forty eight calendar months” shall be substituted;
 - (iii) in sub-section (9), for the words “twenty four calendar months”; the words “forty eight calendar months” shall be substituted.